कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक :– शिविरा–माध्य/छाप्रोप्र/द/एस.सी.एस.टी/पूमै/2013–14 दिनांक : 09-06-1

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक–प्रथम/द्वितीय)

विषय :– कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्र–छात्राओं को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृति वर्ष 2016–17 के प्रस्ताव भिजवाने के संबंध में।

महोदय,

अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र–छात्राओं को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृति के संबंध में नीचे अंकित निर्देशों, शर्तों एवं पात्रता मानदण्डों का गहनता से अध्ययन कर अपने जिले के पात्र छात्र/छात्राओं के प्रस्ताव तैयार करने की कार्यवाही अविलम्ब प्रारम्भ करें। छात्र–छात्राओं से आवेदन पत्र प्रवेश के समय ही समस्त औपचारिकताए पूर्ण करते हुए प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें। अपने जिले के पात्र छात्र–छात्राओं के समेकित प्रस्ताव निम्नांकित चरणबद्व कार्यकम के अनुसार तैयार कर निदेशालय को निर्धारित प्रपत्र में दिनांक **10.08.2016** तक आवश्यक रुप भिजवाना सुनिश्चित करें।

1. योग्य पात्रता के मानदण्ड एवं शर्तें इस प्रकार है :–

1. छात्र/छात्रा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का ही हो।
2. छात्र/छात्राऐं राजकीय विद्यालय अथवा केन्द्र सरकार/राज्य सरकार अथवा शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 तक में नियमित छात्र के रूप में अध्ययनरत हो।
3. छात्र/छात्राओं के माता–पिता जीवित हो या उनके जीवित न होने पर संरक्षक आयकर दाता न हो।
4. छात्र/छात्रा जिसे केन्द्रीय, राजकीय / सार्वजनिक, धार्मिक स्त्रोत से अध्ययनरत हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृति या भत्ता नहीं मिल रहा हो।
5. छात्र/छात्रा जो विभाग द्वारा संचालित छात्रावास में नहीं रह रहा हो।
6. छात्र/छात्रा जो पिछली कक्षा में अनुत्तीण नही रहा हो, यदि वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसकी छात्रवृति रोक दी जावेगी। किन्तु यदि वह उसी कक्षा को आगामी परीक्षा में उत्तीर्ण कर लेता है तो छात्रवृति पुनः चालू कर दी जावेगी। इस हेतु पुनः आवेदन करना होगा।

2. छात्रवृति दरें निम्नानुसार है :

क.सं.	वर्ग	कक्षा	दरें (10माह हेतु)
1	छात्र	6 से 8	75/– प्र.माह(SC व ST दोनों के लिए)
2	छात्रा	6 से 8	125/– प्र.माह(SC व ST दोनों के लिए)

नोट :–कक्षा 9 व 10 हेतु भारत सरकार द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत पृथक से आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।

3. प्रस्ताव के संबंध में समयबद्व कार्यकम निम्नानुसार है :

क्र.सं.	विवरण	निर्धारित तिथि
1.	छात्र/छात्रा द्वारा संस्था प्रधान को आवेदन प्रस्तुत करना	01.08.2016
2.	संस्था प्रधान द्वारा जि.शि.अ.कार्यालय को प्रस्ताव प्रस्तुत करना	05.08.2016
3.	जि.शि.अ.(माध्यमिक–प्रथम/द्वितीय) द्वारा अलग–अलग प्रस्ताव निदेशालय को प्रस्तुत करना	10.08.2016

छात्र/छात्राओं को देय पात्रता अनुसार छात्रवृति के आवेदन पत्र भरने हेतु स्थानीय स्तर पर निःशुल्क जन हितार्थ प्रकाशन द्वारा प्रचार प्रसार भी किया जाना सुनिश्चित करें तथा संस्था प्रधानों को भी पाबन्द करें कि छात्रवृति की जानकारी विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जावे।

4. (i) राज्य सरकार के आदेश कमांक प.19(5)शिक्षा–6/02 जयपुर दिनांक 24.11.2009 के अनुसार विद्यालय में एक बार जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त उसी विद्यालय में पुनः जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं किया जावें। (ii) नवीन प्रवेशार्थी पात्र छात्र/छात्राओं से प्रवेश के साथ ही आवेदन पत्र भरवाया जाना सुनिश्चित करें। यदि कोई पात्र छात्र/छात्रा इस छात्रवृति से वंचित रहता है तो इसके लिए आप व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होगें। (iii) आवेदन पत्र के साथ बैंक खाते की प्रति आवश्यक रूप से प्राप्त की जाये। इसके बिना आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाये। बैंक खाते को आधार कार्ड व भामाशाह लिंक कराने का भी प्रयास सुनिश्चित किया जाये। संस्था प्रधान विद्यालय स्तर पर बैंक खाता खुलवाने का प्रयास करे। (iv) राज्य सरकार के आदेश कमांक प.3(29)शिक्षा–6/2014 दिनांक 18.12.14 के अनुसार रमसा द्वारा संचालित मॉडल स्कूलों के विद्यार्थियों को राजस्थान के राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के समान लाभ दिये जावें। (v) आवेदन पत्र प्रारूप विभागीय वेबसाईट www.rajshiksha.gov.in पर उपलब्ध है।

संलग्न :– प्रपत्र एवं आवेदन पत्र

(बी.एल. स्वर्णकार)
I.A.S.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. उपशासन सचिव शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान जयपुर।
2. मुख्यलेखाधिकारी माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
3. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत्।
4. उपनिदेशक (योजना) कार्यालय हाजा।
5. समस्त उपनिदेशक (माध्यमिक) को अपने अधीनस्थ कार्यालयों को समय पर प्रस्ताव भिजवाने हेतु पाबन्द करते हुए मॉनेटरिंग करने हेतु प्रेषित है।
6. वरिष्ठ सम्पादक शिविरा को आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित है।
7. प्रभारी प्रभाग 'ब' छात्रवृति एवं प्रोत्साहन प्रकोष्ठ।

09/6/16

प्रभारी अधिकारी
छात्रवृति एवं प्रोत्साहन प्रकोष्ठ
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

वर्ष 2016–17 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृति हेतु प्रस्ताव

प्रपत्र

क्र. सं.	योजना का नाम	कक्षा 6 से 8			
		छात्र/ छात्रा	दर (प्रतिमाह)	संख्या	राशि (10 माह हेतु)
1	2	3	4	5	6
1.	अनुसूचित जाति	छात्र	75/–		
		छात्रा	125/–		
2.	अनुसूचित जनजाति	छात्र	75/–		
		छात्रा	125/–		

प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि योजना में वर्णित शर्तों के अनुसार ही पात्र छात्र–छात्राओं का चयन करते हुए उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये है। कोई भी छात्र–छात्रा योजना के लाभ से वंचित नहीं रहा है।

हस्ताक्षर
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक

राजस्थान सरकार

अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति छात्रवृति

आवेदन–पत्र

(सत्र 2016–2017 की छात्रवृति हेतु)

01. छात्र/छात्रा का नाम ....

02. जाति .... उपजाति ....

03. पिता का नाम व व्यवसाय ....

04. परिवार की कुल वार्षिक आय ....

05. प्रार्थी का निवास स्थान .... ग्राम .... पोस्ट .... तहसील ....

06. वर्तमान स्कूल का विवरण जहां छात्र/छात्रा पढ़ रहा/रही है।
   (अ) शाला का नाम ....स्थान...
   (ब) पोस्ट ऑफिस ....तहसील..................................... जिला ....

07. कक्षा जिसमें छात्र/छात्रा पढ़ रहा/रही है ....

08. वर्तमान स्कूल में प्रवेश तिथि ....

09. पिछले वर्ष की शाला का नाम जिसमें छात्र/छात्रा कक्षा में उर्त्तीण हुआ है :– स्कूल का नाम .... स्थान................................... पोस्ट ऑफिस..

10. कक्षा जिसमें छात्र/छात्रा गत वर्ष उर्त्तीण हुआ है ....

11. परीक्षा फल ....उर्त्तीण .... अनुर्त्तीर्ण ....

12. बैंक का नाम .... बैंक खाता संख्या..

13. IFSC कोड... भामाशाह कार्ड नं0 ....

गत परीक्षा में अंको/ग्रेड का विवरण

क्र.सं.	विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक/ग्रेड	क्र.सं.	विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक/ग्रेड
1				4			
2				5			
3				6			

कक्षा में स्थान ....श्रेणी.......................... योग ....प्राप्तांक............................

14. क्या राजस्थान सरकार की इस छात्रवृति के अतिरिक्त अन्य किसी संस्था या सरकारी विभाग से कोई सहायता मिलती है यदि हां तो :–
   (अ) कहां से मिलती है..(ब) कितनी मिलती है ....
   (स) दर .... (द) मासिक, त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक व एक मुश्त ....

हस्ताक्षर छात्र/छात्रा

शाला के प्रधानाध्यापक का प्रमाण–पत्र

01. मै प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त विवरण सही है।
02. स्कूल सरकारी/सरकार से मान्यता प्राप्त है।
03. छात्र/छात्रा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग या इस विभाग से अनुदान प्राप्त स्वयं सेवी संस्था द्वारा संचालित छात्रावास में नही रहता है/रहती है।

हस्ताक्षर प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका
(मोहर सहित)

: : संबंधित सरपंच,पंच अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी का प्रमाण–पत्र : :

01. मैं प्रमाणित करता हूँ की छात्र/छात्रा की जाति .... है जो अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ी जाति/विमुक्त जाति/धुमक्कड़ जाति की गणना में आती है।
02. इनके परिवार की वार्षिक आय ....है।

हस्ताक्षर
पद (मय सील सहित)

उक्त छात्र/छात्रा को ....रुपये प्रतिमाह के हिसाब से माह .... से .... तक की छात्रवृति के कुल ....रुपये स्वीकृत किये जाते है।

हस्ताक्षर स्वीकृतिधिकार
पद (मय सील सहित)